

बनाम

सरकार बनाम ग्यारसीगाल

संख्या 14(4) ग्यारसीगाल अधिनियम बाबत आवंटन

विशेष विवरण

पनावली पेश हूयी । समय पक्ष उपस्थित/पार्थी की ओर से प्रैरकार

सरकार (नायब तहसीलदार, कोटपूतली) द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी । समयपक्षों को सूना गया । प्रैरकार

व्यवस्थापिका की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी । समयपक्षों को सूना गया । प्रैरकार

सरकार (नायब तहसीलदार, कोटपूतली) को सू-आवंटन

सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 27/02/1976 को आवंटन की गयी थी ।

परन्तु आवंटन द्वारा उसको अलाटमेंट की गयी थी कभी काबिज

होकर काबल नहीं की । जबकि ग्यारसीगाल अधिनियम से आवंटन

नियमों की पालना नहीं होने के कारण आवंटन है । आवंटन

खतदायी/खतदायी स्वीकार नहीं की जा सकने के कारण उसका नाम

राजस्व रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया जा सका । यानि आवंटन स्वतः ही निरस्त

हो गया । तत्पश्चात् उक्त आरजीयात के मौके पर खाली होने तथा राजस्व

अभिलेख में राजकीय भूमि विभायक दर्ज होने के कारण दिनांक

01/01/1993 को राजस्वान आर्थीनिक विकास निगम (सीको) को आवंटित

कर दी गयी एवं राजस्व अभिलेख में भी उक्त विवाहित आरजीयात तारीखी

अपनी संख्या 02 के नाम दर्ज कर दी गयी । आज भी उक्त आरजीयात

पर आवंटि अपार्थी संख्या का कोई कब्जा काबल नहीं है, बल्कि तारीख

अपार्थी संख्या का ही रिपोर्ट में नाम दर्ज है तथा कब्जा है, जो मौका रिपोर्ट

दिनांक 10/02/2017 अतः अपील से भी प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अपार्थी

के हक है, में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 27/2/1976 निरस्त

करवाया जावे ।

यान्य अधिवक्ता अपार्थी संख्या एक ने अपने जवाब के तथ्यों को

दीखाने हुए प्रैरकार के कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि

आवंटि को आवंटन के पश्चात् आवंटन की गयी भूमि का कब्जा के पश्चात्

लगातार काबिज काबल है । अपार्थी ने कोई अवहेलना नहीं की है ।

बन्दीबस्त की कार्यवाही चालू होने की वजह से राजस्व अभिलेख बन्दीबस्त

विभाग में चला गया और इसके बाद सन 1980 में यह ग्राम तहसील

कोटपूतली जिला जयपुर में सम्मिलित हो जाने के कारण रिपोर्ट में नहीं हो

पाया, बल्कि विभायक ही दर्ज रह गयी और अपार्थी की कृषि की कब्जे

काबल की कृषि भूमि को विभायक मानकर सीको को बेच दी गयी । अपार्थी

को आरजी विवादास्पद के खतदायी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं । राजस्व

रिपोर्ट में खतदायी दर्ज करने का पूर्ण दायित्व स्वयं पार्थी का था, जो उनके

द्वारा नहीं किया गया । पार्थी (लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटपूतली) की

पालनी की सजा अपार्थी (आवंटि) को नहीं दी जा सकती । कानूनी रूप से

सकता । अपार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गयी भूमि से अपार्थी

आवंटि को आवंटित की गयी भूमि से बिना बदखल किये एवं विधिवत किया

गया आवंटन आदेश दिनांक 27/2/1976 को निरस्त किये बिना तथा

अपार्थी को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसकी पीठ

कीब से तारीखी अपार्थी रिपोर्ट को पुनः किया गया आवंटन आदेश पूर्णतया

न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत गैर कानूनी एवं अप्रासंगिक होने

अपार्थी(आवंटि) के हक हकको के प्रति राज्य एवं बेअसर है । अतः अपील

